



राजस्थान सरकार



कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक:कअ/पीजीवी/ई-सुगम/रा0स0/2016/01

दिनांक 29 जून 2016

:: आ दे श ::

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत अधीनस्थ प्रशासनिक ईकाईयों/कार्यालयों में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। कॉलम संख्या 4 में अंकित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे:-

क्र.सं.	राज्य लोक सूचना अधिकारी (पद नाम)	विषयवस्तु जिनसे संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराई जानी है।	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
01	अति. कलक्टर, अजमेर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय, संस्थापन शाखा, चुनाव शाखा, राजस्व शाखा, जिला पंजीयन, सरिस्ता शाखा, सर्तकता शाखा, रसद शाखा	जिला कलक्टर, अजमेर
02	अति. कलक्टर(द्वितीय), अजमेर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय, डी.आर. ए. शाखा, पी.डी.आर. शाखा, सहायता शाखा, नागरिक सुरक्षा, विकास शाखा, पंचायत शाखा, पुर्नवास/जागीर शाखा,	जिला कलक्टर, अजमेर
03	अतिरिक्त कलक्टर (शहर)	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय, सामान्य शाखा, विधि शाखा, न्याय शाखा, पूल शाखा, नाजरात शाखा, मालखाना शाखा	जिला कलक्टर, अजमेर
04	जिला रसद अधि.(प्रथम)	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय, रिकार्ड शाखा, आवक जावक,	जिला कलक्टर, अजमेर/ रसद शाखा के सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी
05	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय भू अभिलेख शाखा	जिला कलक्टर, अजमेर
06	सहायक कलक्टर(मु.)	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
07	प्रोटोकॉल अधिकारी	स्वयं का कार्यालय,	जिला कलक्टर, अजमेर
08	जिला रसद अधि.(द्वितीय)	स्वयं का कार्यालय	जिला कलक्टर, अजमेर
09	व. लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट, अजमेर	लेखा शाखा	जिला कलक्टर, अजमेर
10	उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
11	उप खण्ड अधिकारी, केकडी	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर

27/06/16
(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर, अजमेर

12	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
13	उप खण्ड अधिकारी, मसूदा	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
14	उप खण्ड अधिकारी, सरवाड	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
15	उप खण्ड अधिकारी, भिनाय	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
16	उप खण्ड अधिकारी, पीसांगन	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
17	उप खण्ड अधिकारी, रूपनगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
18	उप खण्ड अधिकारी, पुष्कर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
19	उप खण्ड अधिकारी, नसीराबाद	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
20	उप खण्ड अधिकारी, टाडगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	जिला कलक्टर, अजमेर
21	तहसीलदार, अजमेर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, अजमेर
22	तहसीलदार ब्यावर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर
23	तहसीलदार केकडी	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, केकडी
24	तहसीलदार किशनगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ
25	तहसीलदार मसूदा	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, मसूदा
26	तहसीलदार सरवाड	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, सरवाड
27	तहसीलदार भिनाय	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, भिनाय
28	तहसीलदार पीसांगन	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, पीसांगन
29	तहसीलदार रूपनगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, रूपनगढ

27/06/16
(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर, अजमेर

30	तहसीलदार नसीराबाद	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, नसीराबाद
31	तहसीलदार टाडगढ	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, टाडगढ
32	तहसीलदार विजयनगर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, मसूदा
33	तहसीलदार सावर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, केकडी
34	तहसीलदार अराई	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ
35	तहसीलदार पुष्कर	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, पुष्कर
36	तहसीलदार टांटोटी	स्वयं का कार्यालय/न्यायालय	उप खण्ड अधिकारी, सरवाड

1. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी अपने सहायतार्थ अपने कार्यालय, अपने न्यायालय, अपने अधीनस्थ शाखा में कार्यरत किसी वरिष्ठतम कर्मचारी को आवेदन-पत्र/अपीलों के निस्तारण, अभिलेख संधारण, आवेदन शुल्क जमा कराने आदि हेतु नामित कर अपने स्तर पर आदेश प्रसारित करेंगे।
2. सभी राज्य लोक सूचना अधिकारी सम्बन्धित आवेदकों से आवेदन-पत्र ग्रहण करेंगे तथा 30 दिवस की निर्धारित अवधि में आवेदन-पत्रों का निस्तारण करेंगे।
3. सभी अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अपीलों ग्रहण कर 30 दिवस की निर्धारित अवधि में निस्तारण करेंगे।
4. आवेदन शुल्क वरिष्ठ लेखाधिकारी कलक्ट्रेट, अजमेर को डिमाण्ड ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, बैंकर चैक या नकद राशि के माध्यम से जमा कराया जावेगा।
5. सभी राज्य लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र व उनके निस्तारण का लेखा जोखा रखेंगे तथा आवेदन-पत्रों के निस्तारण की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
6. यदि प्राप्त आवेदन-पत्र की आंशिक सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित है तो आवेदन-पत्र के उस भाग को सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरण किया जावेगा।
7. अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत पदाभिहित सहायक लोक सूचना अधिकारी(सहायक कलक्टर, अजमेर मु. अजमेर) आवेदन-पत्र/अपील प्राप्त करेंगे तथा सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी एवं राजस्थान सूचना आयोग को अग्रेषित करेंगे। अपीलीय अधिकारी(लोक सूचना) एवं जिला कलक्टर एवं राजस्थान सूचना आयोग में प्रस्तुत होने वाली अपीलों में पैरवी सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित करेंगे।

27/07/16
 (गौरव गोयल)
 जिला कलक्टर, अजमेर

8. सूचना का अधिकार 2005 से सम्बन्धित आयोग से प्राप्त होने वाले परिवाद/अपील आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्गीकरण सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही जवाब प्रेषित किया जाएगा व उनके स्तर से ही आयोग में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करवाई जाएगी।
9. आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने के क्रम में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी ही सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करवाएंगे।

(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर, अजमेर
दिनांक 29-06-2016

क्रमांक:सम/951-90

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पंजीयक एवं विशेषाधिकारी, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओटीएस चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
2. अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम/द्वितीय/शहर) अजमेर
3. जिला रसद अधिकारी, अजमेर
4. प्रोटोकॉल अधिकारी, अजमेर
5. सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर
6. कोषाधिकारी, अजमेर/ब्यावर
7. प्रभारी अधिकारी, शाखा, कलेक्ट्रेट, अजमेर
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट, अजमेर
9. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला अजमेर
10. तहसीलदार, समस्त जिला अजमेर
11. प्रभारी अधिकारी, डी.आई.सी. कलेक्ट्रेट, अजमेर को उक्त आदेश को अजमेर जिला की वैबसाईट पर लोड करने बाबत प्रेषित है। 11A- PRO अजमेर को समस्त अखबारों से उकाशन हेतु प्रेषित है।
12. आदेश पत्रावली

(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर, अजमेर